एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण 282/2006

आवेदक/अभियुक्त:

देवधर कुमार साहू, आत्मजज हीरामन सिंह साहू, आयु 36 वर्ष, निवासी- पांच रास्ता, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पीछे, सुपेला, थाना- सुपेला, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदक/अभियोजन:

छत्तीसगढ़ राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका।

<u>दिनांक 04/05/2006</u>:

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा उपस्थित।

अति-आवश्यक सुनवाई हेतु प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 117/2006 पर सुनवाई की गई। प्रकरण को सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह स्थगन हेतु प्रस्तुत एम.सी. आर. पी. क्रमांक 967/2006 पर बल नहीं देना चाहते और निवेदन किया कि इस पुनरीक्षण याचिका पर आज ही स्वीकार्यता के स्तर पर अंतिम सुनवाई की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निवेदन का विरोध नहीं किया गया।

एम.सी.आर.पी. क्रमांक 967/2006 बल न दिए जाने के कारण खारिज की जाती है।

इस पुनरीक्षण याचिका पर आज स्वीकार्यता के स्तर पर अंतिम सुनवाई की गई।

आवेदक चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 6/2005 में पारित आदेश दिनांक 3.4.2006 से व्यथित है, जिसके द्वारा आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत आरोप विरचित किया गया था।

संक्षेप में वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक एक आर.एम.पी.ई.एच. (इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ग्रामीण चिकित्सा व्यवसायी) है और उसके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद का प्रमाण पत्र है। आवेदक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में पंजीकृत है और उसके पास 'वैद्य विशारद' की उपाधि भी है। श्रीमती श्यामा गुप्ता बुखार के लिए आवेदक से उपचार करा रही थीं। दिनांक 7.10.2003 को श्रीमती श्यामा गुप्ता अपनी सास के साथ उपचार के लिए आवेदक के क्लिनिक गईं, क्योंकि आवेदक द्वारा दी जा रही दवाइयों से लाभ नहीं हो रहा था और उन्हें प्रतिदिन शाम को बुखार आ रहा था। आवेदक ने क्लिनिक में श्रीमती श्यामा गुप्ता का परीक्षण किया और एंटीबायोटिक दवा 'सिप्रोफ्लोक्सासिन' तथा कॉर्टिको-स्टेरॉयड दवा 'डेक्सामेथासोन फॉस्फेट' के इंजेक्शन लगाए। इसके तुरंत बाद श्रीमती श्यामा गुप्ता की स्थिति बिगड़ गई। आवेदक ने तत्काल उनके पति ओम प्रकाश गुप्ता को फोन पर सूचित किया कि इंजेक्शन लगाने और ड्रिप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चढ़ाने के बाद श्रीमती श्यामा गुप्ता क्लिनिक में बेहोश हो गई हैं। ओम प्रकाश गुप्ता आवेदक के क्लिनिक पहुंचे और श्रीमती श्यामा गुप्ता को रिक्शा से 'रिवाइवल नर्सिंग होम' ले गए, जहाँ चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसी दिन रात 9:10 बजे थाना छावनी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। चिकित्सकों की एक टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया, जो श्रीमती श्यामा गुप्ता की मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित अभिमत नहीं दे सके। रासायनिक विश्लेषण और हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए विसरा और स्किन फ्लैप सुरक्षित रखे गए थे। राज्य एफ.एस.एल., रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने रासायनिक विश्लेषण के पश्चात यह अभिमत दिया कि स्किन फ्लैप में कॉर्टिको-स्टेरॉयड दवा 'डेक्सामेथासोन' मौजूद थी। यह भी अभिमत दिया गया कि इंजेक्शन की सुई, खाली बोतल और डिस्पोजेबल सिरिंज में एंटीबायोटिक 'सिप्रोफ्लोक्सासिन' था और इसमें कोई रासायनिक विष नहीं था। आवेदक से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, आर.एम.पी.ई.एच. का प्रमाण पत्र और 'वैद्य विशारद' की उपाधि जब्त की गई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत अभियोजन चलाया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाद आवेदक के विरुद्ध धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद ने आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, तब भी आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. का प्रकरण नहीं बनता है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी था और अपनी उपाधि आर.एम.पी.ई.एच. एवं उसके पंजीकरण के आधार पर एलोपैथिक दवाएं रखने और देने का हकदार ई एच था। उनके द्वारा **"जैकब मैथ्यू विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य', 2005 CG. Cr.J. 294 (SC)** और इस न्यायालय द्वारा '**डॉ. अरुण देवांगन विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य', 2006 CG. Cr. J. 92** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित अभिमत व्यक्त नहीं किया गया था और एफ.एस.एल. के प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट हुआ कि आवेदक द्वारा श्रीमती श्यामा गुप्ता को दी गई दवाओं में कोई रासायनिक विष नहीं था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री से आवेदक के विरुद्ध अधिक से अधिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भा.दं.सं. की धारा 304-क का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रकट हो सकता है। इसके विपरीत, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रामकृष्ण शर्मा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि आवेदक एलोपैथिक दवाएं देने के लिए अधिकृत नहीं था।

परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के पश्चात, मैंने धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया है। ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा दर्ज कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रीमती श्यामा गुप्ता पहले से ही बुखार के लिए आवेदक से उपचार करा रही थीं। संलग्नक ए-2 और ए-3 के दस्तावेज भी दर्शाते हैं कि आवेदक के पास 'वैद्य विशारद' की उपाधि है और वह आर.एम.पी.ई.एच. के रूप में पंजीकृत था तथा उसके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति के अभ्यास हेतु परिषद का प्रमाण पत्र था। संलग्नक ए-4 यह भी दर्शाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दाण्डिक अपील क्रमांक 369/1994 में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अपनी उपाधि और पंजीकरण के आधार पर एलोपैथिक दवाएं रखने का हकदार है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवेदक द्वारा श्रीमती श्यामा गुप्ता को दी गई दवाओं से उनकी मृत्यु हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकती थी। इस आशय की कोई विशेषज्ञ राय रिकॉर्ड पर नहीं है। शव परीक्षण रिपोर्ट भी मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं करती है। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन भी दर्शाता है कि आवेदक द्वारा श्रीमती श्यामा गुप्ता को दी गई दवाओं में कोई रासायनिक विष नहीं है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीमती श्यामा गुप्ता को कॉर्टिको-स्टेरॉयड और सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन देते समय आवेदक को यह ज्ञान था कि इससे उनकी मृत्यु होने की संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि आवेदक श्रीमती श्यामा गुप्ता को उपरोक्त दवाएं देने में लापरवाह था। कॉर्टिको-स्टेरॉयड एक जीवन रक्षक दवा है और मरणासन्न रोगी की जान बचाने के लिए आपातकालीन स्थिति में दी जाती है। आवेदक द्वारा श्रीमती श्यामा गुप्ता को बिना संवेदनशीलता परीक्षण किए सिप्रोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन दिया गया था। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 304 भाग-II का कोई प्रकरण प्रथम दृष्टया भी नहीं बनता है। तथापि, इस प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध लापरवाही से मृत्यु कारित करने हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भा.दं.सं. की धारा 304-क के तहत प्रकरण प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है।

उपरोक्त कारणों से, यह कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण और विधिविरुद्ध है तथा पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

परिणामस्वरूप, यह दाण्डिक पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिनांक 3.4.2006 को आवेदक के विरुद्ध धारा 304 भाग-**II** भा.दं.सं. के तहत विरचित आरोप निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायाधीश आवेदक के विरुद्ध धारा 304-क भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित करेंगे और तत्पश्चात विधि के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें

एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur